

Case Study-9

Partial withdrawal under NPS में अनियमितता

उमा शंकर मिश्र
मुख्य सतर्कता निरीक्षक/लेखा

एक मंडल के एक शाखा में Partial withdrawal under NPS को संज्ञान में लेकर कर गई सतर्कता निवारक जांच में यह गया था कि Partial withdrawal आवेदनो को अग्रसारित करते समय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (Exits and withdrawl under the National Pension System) विनियम, 2015 के अद्यतन दिशानिर्देशो का अनुपालन नहीं कराया जा रहा था।

अद्यतन दिशानिर्देशो अनुसार यदि किसी कर्मचारी के पास पहले से ही residential house or flat है तो उसे इस मद में Partial withdrawal अनुमेय नहीं होगा और यदि कोई कर्मचारी purchase or construction of a residential house or flat हेतु Partial withdrawal आवेदन देता है तो उसे इस आशय का Self-declaration देना अनिवार्य है कि उसके पास कोई residential house or flat है। Partial withdrawal under the National Pension System, अभी आरम्भिक स्टेज में है और NSDL के स्तर से इसमें लगातार कुछ न कुछ संशोधन होता रहा है अतः पूरे के सभी मंडलो के मंरेप्र को पत्र लिखकर Partial withdrawal under NPS के मामलो में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (Exits and withdrawl under the National Pension System) विनियम, 2015 के अद्यतन दिशानिर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित कराया गया।
